"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2003—पौष 20, शक 1924

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

संशोधन क्रमांक 1

निविदा क्रमांक 27/त. शा./का. यं./लो. स्वा./2002-2003/बिलासपुर, दिनांक 22-11-2002 पृ. क्र. 4060/त. शा./लो. स्वा./2002/ दिनांक 22-11-2002 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है.

निविदा की संशोधन तिथि का विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	निविदा प्रपत्र क्रय के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	7-1-2003 (सायं 5.30 बजे तक)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि एवं समय	9-1-2003 (सायं 5.30 बजे तक)

(3) मुहरबंद निविदाएं जमा करने की तिथि एवं समय — 10-1-2003 (अपरान्ह 3.00 बजे)

(4) निविदा खोलने की तिथि एवं समय — 10-1-2003 (अपरान्ह 3.30 बजे)

अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी.

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वा., यां. खण्ड, बिलासपुर (छ. ग.).

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़

प्रारूप-4
[नियम 5 (1) देखिये]
[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 909/वा.-2/2002—चूंकि आवेदक श्री किशोर जैन, कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिगम्बर जैन, चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ तहसील डोंगरगढ़ ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 7-11-2002 को विचार हेतु नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम — श्री दिगम्बर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट डोंगरगढ़, तहसील-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.).

2. संपत्ति — चल संपत्ति के रूप में 10,000/- रु. दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक शाखा डोंगरगढ़ में जमा है.

एस. आर. ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) के समक्ष

क्रमांक 31/वाचक-1/2002.—अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करता हूं.

अब इसलिये मैं, निर्मल तिग्गा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर, जिला सरगुजा, लोक न्यास का पंजीयन मेरे न्यायालय में वर्ष 2002 के जुलाई मास के 2 तारीख पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

मां बागेश्वरी देवीधाम लोक न्यास, ग्राम कुदरगढ़, ग्राम पंचायत-धूर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा, पूजा स्थल एवं परिसर भूमि.

निर्मल तिग्गा,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, कलेक्टर एवं पंजीयक लोक न्यास, महासमुन्द (छ. ग.)

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास महासमुन्द, महासमुन्द जिला के समक्ष.

क्रमांक 485/क./वाचक-1/2002.—चूंकि विश्वनाथ पुत्र लोकनाथ अग्रवाल निवासी बागबाहरा तहसील महासमुंद व श्री तुकाराम पिता श्री गोकुल पटेल निवासी ग्राम पिथौरा, उप तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26-11-2002 को विचार के लिये लिया जायेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास जिला महासमुन्द का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26-11-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास की संपत्ति :—

1. ग्राम पिथौरा, प. ह. नं. 22, रा. नि. मं. पिथौरा, तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद स्थित भूमि ख. नं. 21040 क्षेत्रफल 0.138 हे.
2. गायत्री माता का मंदिर, पक्का कुंआ, कमरा चौहद्दी, अनुमानित मूल्य 2,50,000/- एवं मंदिर की अन्य संपत्ति.
3. लोक न्यास का नाम-गायत्री शक्ति पीठ पिथौरा, तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद.

(मुख्यालय श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार, उ. प्र.).

सही/-
कलेक्टर एवं पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.